अध्याय-2

दत्तकग्रहण के लिए बालकों से संबंधित प्रक्रिया

6. **अनाथ या परित्यक्त बालक से संबंधित प्रक्रिया-** (1) अनाथ या परित्यक्त बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक करने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अधिनियम की धारा 31, 32, 36, खंड (क) से (ग) और धारा 37 की उप-धारा (1) के और खंड (ज), धारा 38 और धारा 40, के साथ ही इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन निर्धारित किए गए हैं।

(2) बाल कल्याण समिति की भागीदारी के बिना सीधे किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बालक देखरेख संस्था द्वारा प्राप्त किसी अनाथ या परित्यक्त बालक को नियमों के प्रारूप 17 में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट सहित चौबीस घंटे (यात्रा के समय को छोड़कर) के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसी अवधि के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में जमा की जाएगी।

(3) यदि कोई बालक उपचाराधीन है या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, तो उक्त समय-सीमा के भीतर बालक से संबंधित दस्तावेज ही बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे और बाल कल्याण समिति बालक से मुलाकात करेगी।

(4) यदि जांच लंबित है, तो बाल कल्याण समिति, अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (26) के उपबंधों के अनुसार नियमों के प्ररूप 18 में किसी बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जैसा भी मामला हो, को बालक की अल्पकालिक व्यवस्था या अंतरिम देखभाल के लिए आदेश जारी करेगी।

(5) बाल कल्याण समिति के आदेश से बालक को प्रवेश देने पर, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बाल कल्याण समिति के आदेश प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर उनका विवरण और फोटो निर्धारित प्रारूप में अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, और ऐसी अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर प्रत्येक छह महीने में बालक की फोटो और प्रोफाइल अपडेट की जाएगी।

(6) बाल कल्याण समिति के आदेश के आधार पर बालक देखरेख संस्थानों में भर्ती अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बड़े बालकों के मामले में, ऐसे बालकों का विवरण अभिहित पोर्टल पर संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दर्ज किया जाएगा।

(7) जैविक माता-पिता या विधिक अभिभावकों का पता लगाने के लिए, बाल कल्याण समिति, जोखिम कारकों को ध्यान में रखकर, और बालक के सर्वोत्तम हित में, जिला बालक संरक्षण इकाई को बालक के पाए जाने के स्थान में व्यापक प्रसार वाले एक राष्ट्रीय समाचारपत्र में बालक के पाए जाने के तीन दिनों के भीतर अनाथ या परित्यक्त बालक के विवरण और चित्र का विज्ञापन करने और साथ ही बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया में डेटा की प्रविष्टि भी सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकती है।

(8) यदि बालक दूसरे राज्य से है, तो स्थानीय भाषा में बालक के ज्ञात मूल स्थान पर प्रकाशन किया जाएगा और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया में जानकारी की प्रविष्टि सहित ऐसे प्रकाशन को संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा सुगम बनाया जाएगा।

(9) यदि उप-विनियम (7) से उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट प्रयासों के बावजूद जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो जिला बालक संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(10) बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन पूरे होने पर तुरंत बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट में बालक द्वारा अपने अल्पकालीन प्रवास के दौरान प्रकट की गई कोई भी जानकारी और बालक का दावा करने के लिए संपर्क करने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हों, का विवरण शामिल होगा।

(11) यदि दो वर्ष से कम आयु के अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में दो महीने के भीतर और दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में चार महीने के भीतर जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षकों का पता न लगने की स्थानीय

अवर सचिव अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो माता-पिता को पता न लगाने योग्य समझा जाएगा।

(12) बाल कल्याण समिति, यह पता लगाने के लिए चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया का उपयोग करेगी कि क्या परित्यक्त बालक या अनाथ बालक लापता बालक है और यदि बालक की पहचान स्थापित हो जाती है, तो उन्हें जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षकों को सौंप दिया जाएगा।

(13) बाल कल्याण समिति, क्रमशः दो वर्ष तक के या दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से दो या चार महीने समाप्त होने के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर, अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करने के पश्चात्, बाल कल्याण समिति के किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करेगी, जिसमें परित्यक्त या अनाथ बालक को अनुसूची 1 में दिए गए प्रारूप में दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा।

(14) बाल कल्याण समिति द्वारा धारा 36 के अधीन जांच और धारा 38 के अधीन एक परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का आदेश उस जिले में पूरा किया जाएगा जहां बालक प्रारम्भ में पाया गया था, या उस जिले में जहां बाल कल्याण समिति के आदेश के अधीन बालक को स्थानांतरित किया गया है।

(15) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किसी अनाथ या परित्यक्त बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट क्रमशः अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप में तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से अधिकतम दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर डाली जाएगी या जब भी बालक में उल्लेखनीय शारीरिक परिवर्तन देखे जाएं अभिहित पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।

(16) बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में होगी।

(17) जिला बालक संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट या कोई अन्य आवश्यक जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने में सुविधा प्रदान करेगी, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(18) बाल कल्याण समिति द्वारा मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले माता-पिता के बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में स्थापित कानूनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से माता-पिता की मानसिक दिव्यांगता को दर्शाने वाले प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी।

(19) सहोदर या जुड़वां बालकों के मामले में, बाल कल्याण समिति बालकों की स्थिति को सहोदर या जुड़वां के रूप में निर्दिष्ट करेगी और बालकों को एक ही क्रम में विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल